

TAO-530

श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-89	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के ग्राम हरनाटाड़ में स्थित मॉडल स्कूल बंद रहने के कारण विद्यालय में उपलब्ध संसाधन की क्षति हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त मॉडल स्कूल में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं समुचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के ग्राम हरनाटाड़ स्थित विद्यालय मॉडल स्कूल न हो कर उच्च माध्यमिक विद्यालय की श्रेणी का है। उक्त भवन का निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया गया है। नव निर्मित भवन मध्य विद्यालय हरनाटाड़ के परिसर से लगभग 2 कि०मी० की दूरी पर है। माध्यमिक खण्ड के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण माध्यमिक खण्ड का पठन पाठन प्रारंभ नहीं हो सका है। छठे चरण का शिक्षक नियोजन कार्यक्रम प्रकाशित हो गया है। प्रश्नगत विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्यवाई इस प्रक्रियान्तर्गत हो सकेगी।

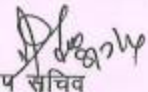

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-79/2019-1255

पटना, दिनांक 08-07-2019

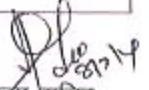
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1097 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-09

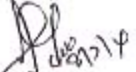
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के पंचायत बड़की चिलमी में ग्राम छतरी आहर एवं पंचायत झरी के ग्राम कुशा में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त वर्णित गाँवों में प्राथमिक विद्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि आमस प्रखण्ड अन्तर्गत बड़की चिलमी पंचायत के ग्राम छतरी आहर के बच्चे 1 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय बनकट तथा झरी पंचायत के ग्राम कुशा के बच्चे 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय आमस में पढ़ने जाते हैं। अतः उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय के सृजन की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1707 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, आमस से संबंधित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय सृजन हेतु पंचायत समिति से पारित प्रस्ताव की माँग की गई है तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमस से भी आग्रह किया गया है।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-28/2019.....725...../

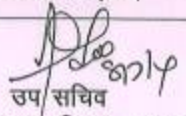
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

210533

श्री डॉ० रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-142	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या बात सही है कि सारण जिला कि दिघवारा प्रखंडान्तर्गत कन्या उच्च विद्यालय, दिघवारा में अध्ययनरत 150 छात्राओं की उर्दू विषय में अभिलेखि रहते हुए भी उर्दू शिक्षकों के अभाव में उक्त विषय की पढ़ाई से वंचित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय में उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन कर उर्दू की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक-1142 दिनांक-01.07.2019 के द्वारा छटे चरण के शिक्षक नियोजन का शिड्यूल जारी हो चूका है, इस के तहत सारण जिले के दिघवारा प्रखण्ड अन्तर्गत कन्या उ०वि० दिघवारा में उर्दू विषय के शिक्षकों को प्राथमिकता के तौर पर नियोजन की कार्यवाई करते हुए उक्त विद्यालय में उर्दू शिक्षक का पदस्थापन किया जाएगा।

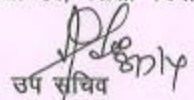

उप/सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-109/2019-1256

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1885 दिनांक-03.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप/सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-534

श्री अजीत शर्मा, माननीय संवि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-105	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर नगर निगम में स्थित इंटरस्तरीय श्याम सुन्दर विद्या निकेतन विद्यालय, भागलपुर का भवन जर्जर है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन इंटरस्तरीय श्याम सुन्दर विद्या निकेतन विद्यालय, भागलपुर में 06 नवनिर्मित वर्ग कक्ष उपलब्ध है। विद्यालय में तीन कमरा पुराना एवं जर्जर की स्थिति में है। विभागीय पत्रांक-1243 दिनांक-06.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।

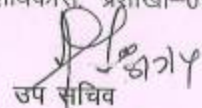

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापंक : 11/वि०स० 5-85/2019-1280

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1136 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री बशिष्ठ सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा-34	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोचस के मौजा-रेडियां में कॉलेज के नाम से 03 एकड़ 14 डिसगिल अन्नावाद सर्वसाधारण भूमि है, जिसका खाता संख्या 158, चक संख्या-465 एवं खेसरा संख्या -512, 513, 514, 515 एवं 516 है ;	प्रश्न कंडिका 1, 2 एवं 3 के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। रोहतास जिला का कोचस प्रखण्ड सासाराम अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहाँ पूर्व से ही शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय, सासाराम, शंकर महाविद्यालय, सासाराम, शेरशाह महाविद्यालय, सासाराम एवं महिला महाविद्यालय, सासाराम अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है। अतः सम्प्रति रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोचस के मौजा-रेडियां में महिला महाविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।
(2). क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है;	
(3). यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त भूमि पर महिला महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

ह0/-

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-15/2019-1474

पटना, दिनांक 08/7/ 2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप
संख्या 832 दिनांक 21.06.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा
को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के उप सचिव

210 537

श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-10

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के पंचायत बड़की चिलमी में ग्राम-गठ पर एवं बलखोरा में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से वहाँ के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त वर्णित गाँवों में प्राथमिक विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित ग्राम के बच्चे 1 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय नीमा बुधील एवं 1.50 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय बुधील में पढ़ने जाते हैं। अतः उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय के सृजन की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1706 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, आमस से संबंधित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय सृजन हेतु पंचायत समिति से पारित प्रस्ताव की माँग की गई है तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमस से भी आग्रह किया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-32/2019...726.../

पटना, दिनांक 08.07.19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

NT-538

	मो० आफ्फाक आलम, माननीय सं०वि०सं० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-79	माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
(क)	क्या बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के उच्च विद्यालय सेंगता एवं कसबा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय गढ़बनैली में विगत पाँच वर्षों से स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक 524 दिनांक 01.07.19 के प्रतिवेदनानुसार जलालगढ़ प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, सेंगता में प्रधानाध्यापक का पद स्वेच्छया से स्थानान्तरण के कारण रिक्त है तथा कसबा प्रखंड के उच्च विद्यालय गढ़बनैली में प्रधानाध्यापक का पद दिनांक 01.10.18 से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त है। वस्तुस्थिति है कि राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राज्य स्तरीय वरीयता सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाई की जा रही थी, परन्तु इसी मध्य सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 5086 दिनांक 11.04.19 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में अगले आदेश तक प्रोन्नति हेतु आयोजित होने वाली प्रोन्नति समिति की बैठको एवं किसी प्रकार की प्रोन्नति को स्थगित रखा गया है। स्थानान्तरण नियमावली-2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के पदों को अस्थानान्तरणीय एवं ऐच्छिक होने तथा सेवाकाल में मात्र एक ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा देय होने के कारण स्थानान्तरण/प्रतिनियोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं होगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

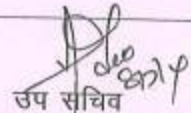
ज्ञापांक वि०म०को०/प्र०-05/19-1331/
प्रतिनिधि-०४/१०/१० बिहार विधान सभा के ज्ञापांक-964 दिनांक-26.06.2019 के आलोक में उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-०५/७/२०१९

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-540

श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-88	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखण्ड के ग्राम जैजोर में स्थित बुनियादी विद्यालय के नवनिर्मित भवन में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का बसेरा बन गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना मॉडल स्कूल के तहत वर्ष 2015 में उक्त मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण पूर्ण किया गया। उक्त नव निर्मित भवन के बुनियादी विद्यालय जैजोर, आन्दर से 3.5 कि०मी० की दूरी पर होने के कारण पठन पाठन प्रारंभ नहीं किया जा सका। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सिवान के अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक- 1287 दिनांक- 08.07.2019 द्वारा उक्त नव निर्मित भवन में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय आन्दर के 11वीं एवं 12वीं की कक्षा के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : R/F 11/वि०स० 5-125/2019-1258

पटना, दिनांक 08.07.2019

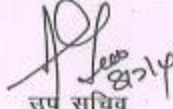
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1096 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

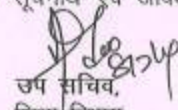
बिहार विधान सभा में श्रीमती पूनम देवी यादव, माननीय स० बि० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-21 का उत्तर सामग्री :-

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में मिड डे मील की वर्ष 2019 रैंकिंग मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण एवं निगरानी कार्रवाई की गयी जिसके प्रतिवेदन में खगड़िया जिला का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि, माह फरवरी 2019 में खगड़िया जिला का रैंकिंग 38 वीं स्थान पर थी। पुनः माह मार्च 2019 में रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप माह मार्च 2019 में खगड़िया जिला को 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
2. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला में विद्यालयों और आँगनवाड़ी केन्द्रों पर मध्याह्न भोजन तय मानक के अनुरूप वितरित नहीं की गई;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खगड़िया जिला में मिड डे मील बच्चों के स्वास्थ्य के अनुकूल वितरित करने हेतु कौन सा ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	खगड़िया जिला अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का संचालन निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देश के अनुरूप कराया जा रहा है। जिसका समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा जाँच किया जाता है।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1256 / दिनांक- 08/03/2019

प्रतिलिपि-उप सचिव, बिहार विधान सभा को 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

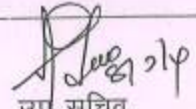
ज्ञापांक- 1256 / दिनांक- 08/03/2019

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

AT-543

	श्री प्रकाश वीर, माननीय स० वि० स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-155	माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के मेसकौर प्रखंड में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नहीं है, जिससे बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त प्रखंड में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 826, दिनांक 06.07.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार नवादा जिलान्तर्गत मेसकौर प्रखंड में चार राजकीयकृत उच्च विद्यालय एवं पाँच उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, जिसमें छात्राओं द्वारा भी शिक्षा प्राप्त की जा रही है। तदालोक में सरकार के स्तर पर प्रोजेक्ट विद्यालय खोले जाने का कोई विचार नहीं है।



उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०म.को./प्र०-09/19.1369/ पटना, दिनांक- 08/07/2019
प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक-1942 वि.स०, दिनांक-03.07.2019 के आलोक में उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

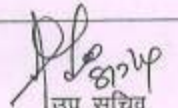


उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-37

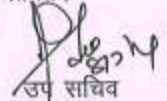
	प्रश्न	उत्तर
(1)	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्र के हुडराहा ग्राम स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय एवं रजबरिया कला ग्राम स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन होने के कारण बगल के विद्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया है, जिससे उक्त विद्यालय के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय सहित सभी नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराकर सृजित जगह पर ही पठन-पाठन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :- वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हुडराहा की स्वीकृति है, परन्तु भूमि के अभाव में संचालित नहीं है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रजबरिया कला नाम का कोई भी विद्यालय की स्वीकृति नहीं मिली है।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-35/2019.....729...../

पटना, दिनांक 12.8.19/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

बिहार विधान सभा के लिए श्री शमीम अहमद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-120

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1) क्या बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड में विगत 4 वर्षों से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिसके कारण शिक्षा संबंधित सरकारी कार्य बाधित है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश संख्या-763 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा श्रीमती कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, रुपौली, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बनकटवा प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा चुका है।

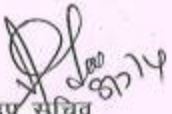

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-8/वि०स०-16/2019 1199

पटना, दिनांक-08/07/19

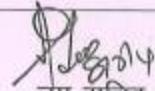
प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक-1166 दिनांक-01.07.2019 (दो प्रतियों में)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

210548

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-134	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भागवत ठाकुर उच्च विद्यालय, किशनपुर तथा राजमणि उच्च विद्यालय भोरे शाहपुर में छात्र/छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में पर्याप्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भागवत ठाकुर उच्च विद्यालय, किशनपुर में उपलब्ध 14 कमरों के विरुद्ध 06 कमरों में पठन पाठन का कार्य सम्पादित किया जाता है। राजमणि उच्च विद्यालय भोरे शाहपुर में उपलब्ध 10 कमरों के विरुद्ध 04 कमरों में पठन पाठन का कार्य सम्पादित किया जाता है। विभागीय पत्रांक 1259 दिनांक- 08.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण उपरांत विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।

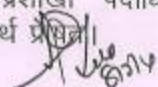

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-101/2019-1267

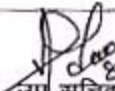
पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के झाप सं० प्र०-1175 दिनांक-01.07.2019 के
आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

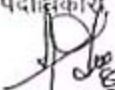
श्री गुलाब यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-92	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड के कंजरीवाला उच्च विद्यालय, झंझारपुर में छात्रों की संख्या दो हजार से अधिक है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में 1192 छात्र नामांकित हैं।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष -2013 ई० में किया गया था;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा मॉडल स्कूल की योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मॉडल स्कूल की योजना संचालित नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कर मॉडल विद्यालय दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

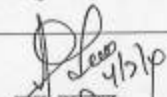
ज्ञापक : 11/वि०स० 5-77/2019-1283 पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1100 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री विनय बिहारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-गृह-47	माननीय मंत्री, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड स्थित चम्पा कुंवर (+2) विद्यालय की जमीन का असामाजिक तत्व द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण उक्त विद्यालय का विस्तार नहीं होने से स्थानीय छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० चम्पारण से पत्रांक 58 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानाध्यापक, चम्पा कुंवर +2 उच्च विद्यालय लौरिया ने अपने पत्रांक 263 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि विद्यालय के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भूमि का अतिक्रमण किया गया है एवं साहू जैन उच्च विद्यालय के उत्तर भाग में लगभग 01 एकड़ जमीन से अधिक और नंदन गढ़ स्तूप के आसपास उक्त विद्यालय के लगभग 01 एकड़ भूमि स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। परन्तु इस संबंध में विद्यालय के पास भूमि संबंधी अभिलेख नहीं है। पूर्व में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 57 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा अंचलाधिकारी, लौरिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को भूमि सीमांकन कराते हुये अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी निदेश दिया गया।

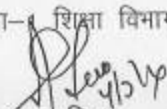

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : वि०म०को०/प्र०-06/2019 1354

पटना दिनांक 05/7/19

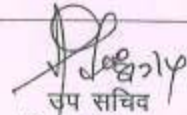
प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं० प्र०-562 दिनांक-26.06.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-1, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-551

श्री कुमार सर्वजीत, माननीय संविंस० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-139	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड के मोचारिम पंचायतों स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोचारिम एवं टनकुप्पा प्रखण्ड के उतलीबारा पंचायत स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय उतलीबारा में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत टनकुप्पा प्रखण्ड के उतलीबारा पंचायत स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय उतलीबारा में 03 विषयों, क्रमशः सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित के शिक्षक कार्यरत हैं। बोधगया प्रखंड के मोचारिम पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोचारिम, जो माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुआ है, में माध्यमिक शिक्षक के पद के सृजन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संबंधित मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

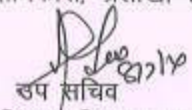

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/विंस० 5-106/2019-.....1281

पटना, दिनांक ...08.07.2019

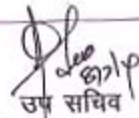
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, विंस० (के ज्ञाप सं० प्र०-1882 दिनांक-03.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-553

श्री अरुण कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-124	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
1 क्या यह बात सही है कि 2006 से राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्षों से अधिक दिनों से कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (एम.ए., एम.एस.सी एवं एम.कॉम प्रशिक्षित) शिक्षकों को किसी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी गई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संगत नियोजन नियमावली, 2006 में नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है। अपितु यह प्रावधानित है कि प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति के संबंध में सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
2 क्या यह बात सही है कि 2015 में सरकार द्वारा शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से शिक्षकों को पेंशन, भविष्य निधि, अर्जित अवकाश आदि सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-1529 दिनांक-01.08.2015 के द्वारा नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त के निर्धारण हेतु समिति गठित है। समिति के द्वारा नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में सेवा निरन्तरता, ऐच्छिक स्थानान्तरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण पर अनुशंसा की जानी है।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए चार वर्षों से लंबित सेवाशर्त नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उक्त संकल्प के अधीन गठित समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

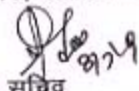

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-99/2019-1290

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1170 दिनांक-01.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

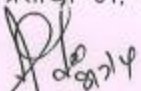
नं० 554

श्रीमती रंजु गीता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-52	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखण्ड बोखड़ा अंतर्गत पंचायत बुधनगरा में रामेश्वर युगेश्वरी उच्च विद्यालय (वित्त रहित विद्यालय) से प्रति वर्ष लगभग 500 परीक्षार्थी मैट्रिक के परीक्षा में भाग लेकर जिला में सबसे बेहतर रिजल्ट के बावजूद विद्यालय का 2014 से सरकार द्वारा अनुदान लंबित है, यदि हाँ तो सरकार कबतक रामेश्वरी युगेश्वरी उच्च विद्यालय (वित्त रहित विद्यालय) बुधनगरा को अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सूचित किया गया है कि रामेश्वर युगेश्वरी उच्च विद्यालय, बुधनगरा, बोखड़ा, जिला-सीतामढ़ी को वर्ष 2012-13 के लिये ₹0 9,93,800 (नौ लाख तिरानवे हजार आठ सौ) वर्ष 2018 में विमुक्त किया गया है एवं वर्ष 2011-12 के लिये ₹0 5,36,600 (पाँच लाख छत्तिस हजार छः सौ) वर्ष 2017 में विमुक्त किया गया है। वर्ष 2013-14 के लिये विद्यालय को ₹0 16,93,600 स्वीकृत किया गया है, किन्तु चूँकि इस वित्तीय वर्ष से कोषागार द्वारा राशि सीधे विद्यालय खाता में स्थानान्तरित की जानी है। इस हेतु सभी विद्यालयों से विहित प्रपत्र में विज्ञापन के माध्यम से वांछित सूचना मांगी गयी है। ऑनलाईन सूचना प्राप्त होने के पश्चात CFMS के माध्यम से इस संस्थान को अनुदान वितरित किया जाएगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

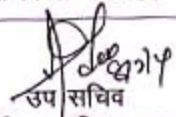
ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-63/2019-1272 पटना, दिनांक 08.07-2019
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-902 दिनांक-24.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NA-555

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-67	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना है, यदि हाँ तो सरकार कबतक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 299 दिनांक-24.04.2010 में अंकित प्रावधान के अनुसार सुरक्षा मानक का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थान पर निम्न दण्ड है: 1. प्रथम अपराध के लिए 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये। 2. द्वितीय अपराध के लिए 1,00,000/- (एक लाख) रुपये। द्वितीय अपराध के बाद गठित समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में कारण पृच्छा और सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद निबंधन रद्द करने की कार्रवाई किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।

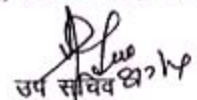

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-72/2019-...1284

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-947 दिनांक-26.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

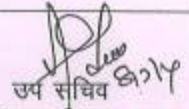
पटना, दिनांक 08.07.2019


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नं० 560

श्रीमती अरूणा देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-108	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीवरावों प्रखण्ड अंतर्गत धमौल बाजार में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ तो सरकार मध्य विद्यालय, धमौल को इंटर विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय आदेश संख्या-1650 दिनांक-27.08.2015 के द्वारा मध्य विद्यालय धमौल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।

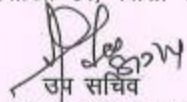

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-86/2019-1263

पटना, दिनांक 08.07.2019

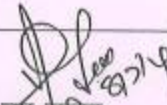
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1139 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NA-561

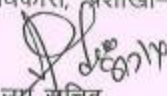
श्रीमती बेबी कुमारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-97	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा अन्तर्गत मुशहरी प्रखण्ड के जमालाबाद में स्थित उच्च विद्यालय एवं बोचहाँ प्रखण्ड के उनसर उच्च विद्यालय में चहारदिवारी नहीं होने से पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालयों का चहारदिवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालयों में पठन-पाठन में कोई कठिनाई नहीं होती है। जहाँ तक प्रश्नगत विद्यालयों में चहारदिवारी के निर्माण का प्रश्न है तो सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक-1297 दिनांक-08.07.2019 द्वारा चहारदिवारी के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत चहारदिवारी का निर्माण कार्य कराया जायेगा।


उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-90/2019-.....1279

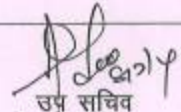
पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1128 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

563

श्री जीवेश कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-93	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत +2 श्री राम जी प्रिया उच्च विद्यालय, जोगियारा में नौवीं एवं दशवीं वर्ग में कूल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या-420 है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि विद्यालय में पठन-पाठन के लिए सिर्फ 02 वर्ग कक्ष है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पठन-पाठन हेतु 04 वर्ग कक्ष उपलब्ध है।
3. क्या यह बात सही है कि वर्ग कक्ष के अभाव में नौवीं एवं दशवीं वर्ग के अलग-अलग सेक्सन के छात्र/छात्राओं को एक दिन बीच करके पठन-पाठन कराया जाता है;	अस्वीकारात्मक है। नौवीं एवं दशवीं वर्ग के अलग-अलग सेक्सन के छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन प्रतिदिन कराया जाता है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार +2 श्री राम जी प्रिया उच्च विद्यालय, जोगियारा में वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों?	विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा जिलावार अतिरिक्त वर्ग कक्ष की आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं जर्जर विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जिसके उपरांत संबंधित मद में संसाधन उपलब्धता के उपरांत क्रमिक रूप से वर्ग कक्ष का निर्माण करा दिया जायेगा।

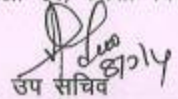

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-80/2019-1260

पटना, दिनांक 08.07.2019

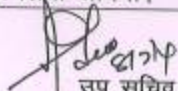
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1101 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

210567

श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-112	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, लालपुर मझुआ में एक भी शिक्षक नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, लालपुर मझुआ का उत्क्रमण वर्ष 2013-14 में हुआ है, जिसमें पठन-पाठन का कार्य मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रश्नाधीन विद्यालय में शिक्षकों का नियोजन आगामी चरणों के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के द्वारा कर लिया जायेगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-94/2019-1261

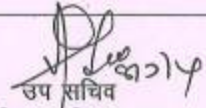
पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1143 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

710-568

श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-113	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के बीसी पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बीसी में एक भी शिक्षक नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2286 दिनांक-24.12.2012 के आलोक में विभागीय पत्रांक-825 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किए गए थे। उक्त सृजित पद के विरुद्ध नियोजन की कार्यवाई की गई और नियोजन के आगामी चरण में भी उक्त सृजित पद के विरुद्ध अवशेष रिक्त रह गए पदों पर नियोजन की कार्यवाई की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संबंधित मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-95/2019-.....1278

पटना, दिनांक08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1144 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती अमिता भूषण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा-38	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त प्रखण्ड के छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कब तक बीरपुर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तुत प्रश्न के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। बेगूसराय जिला अन्तर्गत इस कोटि के तीन अनुमण्डल बलिया, बखरी एवं तेघड़ा है। इन तीनों अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी गई है, परंतु भूमि हस्तांतरण नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। भूमि हस्तांतरण के निमित्त जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को अनुरोध किया गया है। सम्प्रति बीरपुर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहारबिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-14/2019-1479

पटना, दिनांक 08/7/2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप
संख्या 861 दिनांक 21.06.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा
को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


सरकार के उप सचिव

ना-571

श्रीमती समता देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-62	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
(क) क्या यह बात सही है कि गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के पतलुका पंचायत के ग्राम धनगाई में स्थित उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय का भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक-1118 दिनांक-29.06.2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

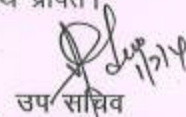

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-61/2019-.../143...

पटना, दिनांक 01-07-2019

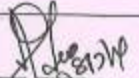
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-912 दिनांक-24.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री संजय कुमार सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-116

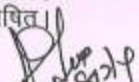
	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड काराकाट, ग्राम-विशुनपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय, विशुनपुर जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण पठन-पाठन हेतु छात्र/छात्राओं को दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त जर्जर भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड काराकाट के ग्राम-विशुनपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर के भवन निर्माण हेतु समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राशि अप्राप्त है। राशि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण हेतु कार्रवाई की जा सकेगी।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-47/2019.....735...../

पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

TAO-579

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय संवि०सं० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-58	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड अंतर्गत रघाउर उच्च विद्यालय है में चहार दिवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं का आवागमन होने से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहार दिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1242 दिनांक-06.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक चहारदिवारी के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०सं० 5-62/2019-1276 पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, वि०वि०सं० (के ज्ञाप सं० प्र०-908 दिनांक-24.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT0-582

श्रीमती गायत्री देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-100	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, घाघरा में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2286 दिनांक-24.12.12 के आलोक में विभागीय पत्रांक-825 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किए गए थे। उक्त सृजित पद के विरुद्ध नियोजन की कार्यवाई की गई और नियोजन के आगामी चरण में भी नियोजन की कार्यवाई इन पदों पर की जाएगी। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षक के पद के सृजन की कार्यवाई का प्रश्न है तो सूचित करना है कि पद के सृजन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संबंधित मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-98/2019-1275

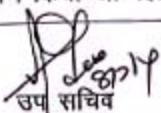
पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1131 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

TAO-583

श्री विजय शंकर दुबे, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-96	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत जलालपुर प्रखंड के महंथ मेंथी भगत उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज, कुमना का भवन निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय एवं इंटर कॉलेज का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छपरा जिलान्तर्गत जलालपुर प्रखंड के महंथ मेंथी भगत उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, कुमना के विद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन स्थानीय विवाद के कारण राशि का ससमय उपयोग नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2012 में राशि विभाग को वापस कर दी गई। विदित हो कि राज्य स्तर पर ऐसे विद्यालयों का सर्वेक्षण कर राज्य संसाधन अंतर्गत राशि उपलब्धता के आधार पर क्रमिक रूप से विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।

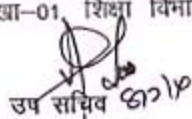

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापार्क : 11/वि०स० 5-78/2019-1262

पटना, दिनांक 08.07.2019

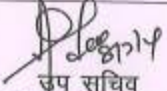
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1104 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NTD-584

श्रीमती अमिता भूषण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-17	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि बेगुसराय जिला में +2 में उत्क्रमित किये गये किसी भी विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ तो सरकार +2 में उत्क्रमित विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2286 दिनांक-24.12.12 के आलोक में विभागीय पत्रांक-825 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किए गए थे, जिनके विरुद्ध नियोजन की कार्यवाही पंचम चरण में की गयी। उक्त सृजित पद में से शेष पद के विरुद्ध छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

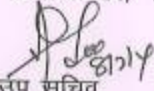

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-49/2019-1264

पटना, दिनांक 08.07.2019

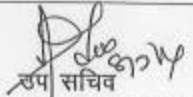
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-756 दिनांक-18.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

210 585

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-128	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामपुर में बालिका उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड के ग्राम बेलांव में बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रखण्ड के बेलांव पंचायत में श्री नेहरू उच्च विद्यालय, नौहट्टा अवस्थित है, जिसमें सह-शिक्षा की व्यवस्था है। वर्तमान में अलग से बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

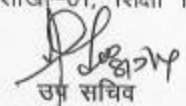

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-110/2019-1272

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1810 दिनांक-02.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री अमित कुमार, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-153

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(क) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रथम पंचायत के मध्य विद्यालय, मझौरा का चाहरदिवारी नहीं रहने से अध्यापन कार्य में व्यवधान पैदा होता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का चाहरदिवारी का निर्माण करने का विचार है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 14.06.2018 को जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा समीक्षात्मक बैठक में चहारदिवारी निर्माण मद में राशि नहीं रहने के कारण जिले के सभी विद्यालयों का मनरेगा से चहारदिवारी निर्माण करने का निदेश दिया गया। उक्त बैठक की कार्यवाही जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी कार्यालय के पत्रांक 877 दिनांक 18.06.2018 के माध्यम से जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को चहारदिवारी निर्माण हेतु विद्यालय की सूची मनरेगा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापक 06/वि० 01-58/2019 733 /

पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-160

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अंतर्गत दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के अलीनगर दियारा में स्थित प्राथमिक विद्यालय, अलीनगर के नाम से 0.40 एकड़ जमीन है, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :- उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अंतर्गत दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के अलीनगर दियारा में स्थित प्राथमिक विद्यालय, अलीनगर के नाम से 0.40 एकड़ जमीन वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त हुआ है। किन्तु बजटीय उपबंध नहीं रहने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 1037 दिनांक 12.04.2016 द्वारा भवन निर्माण हेतु बजटीय उपबंध करने का अनुरोध किया गया है। बजटीय उपबंध होते ही भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापक 06/वि० 01-60/2019.....732/

पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

TA - 588

श्री प्रकाश वीर, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा में दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-156 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :-	माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के मेसकौर प्रखण्ड में टोला सेवक की नियुक्ति नहीं की गई है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त प्रखण्ड में टोला सेवक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	यह बात सही है कि नवादा जिले के मेसकौर प्रखण्ड में टोला सेवक (वर्तमान में शिक्षा सेवक) के लिए कोई उत्थान केन्द्र स्वीकृत नहीं है। इसलिए कोई टोला सेवक नियुक्त नहीं है। तालीमी मरकज के 13 केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 10 केन्द्रों पर शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) कार्यरत हैं। विदित हो कि उत्थान केन्द्र (शिक्षा सेवक के लिए) तथा तालीमी मरकज केन्द्रों की संख्या बल की स्वीकृति की इकाई जिला है, न कि प्रखण्ड है। केन्द्र की स्वीकृति टोलावार महादलित, दलित की जनसंख्या एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। नवादा जिला में टोला सेवक के लिए 31 उत्थान केन्द्र एवं 38 तालीमी मरकज केन्द्र कुल-69 केन्द्र रिक्त हैं। इसके विरुद्ध उन केन्द्रों पर शिक्षा सेवकों के चयन के लिए (केन्द्रों के चयन से लेकर शिक्षा सेवकों के नियोजन तक) एक वर्क कैलेण्डर विभाग द्वारा तैयार कर सभी जिला पदाधिकारी को भेज दी गयी है, जिसके अनुसार माह अक्टूबर, 2019 तक चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

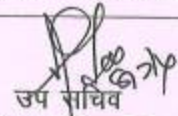
ज्ञापांक-13/वि० स०-09-16/2019 1580 / पटना, दिनांक- 08/7/2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-1943 वि०स० दिनांक 03.07.2019 एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

590

श्रीमती रेखा देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-157	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरुआ प्रखण्ड में श्री राम हरि उच्च विद्यालय, पभेड़ा में पर्याप्त कमरा नहीं रहने से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पठन पाठन करने कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं के हित में पर्याप्त मात्रा में कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1270 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण उपरांत विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-123/2019-1286

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1944 दिनांक-03.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

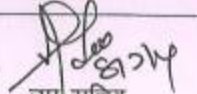

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता. - 514

श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-44

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भरगामा पंचायत में स्वीकृत नया प्राथमिक विद्यालय, नरपत नगर टेंगराहा टोले मंगरौन की रजिस्ट्री केबाला दिनांक-31.04.2014 के माध्यम से खाता नं०-239, खेसरा नं०-2549/2550/2430, रकबा चार कट्टा जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद वर्णित विद्यालय में आज तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ने को मजबूर हैं, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भरगामा पंचायत में स्वीकृत नया प्राथमिक विद्यालय, नरपत नगर टेंगराहा टोले मंगरौन हेतु ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्णित खाता खेसरा से संबंधित दस्तावेज के आलोक में अंचलाधिकारी, मधेपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भवन निर्माण की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। तत्काल जन सहयोग के माध्यम से स्थानीय निजी भवन में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-38/2019-728/

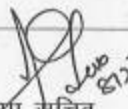
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

बिहार विधान सभा के लिए श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-141

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1) क्या बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमंखी प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद 3 वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री राममगत यादव दिनांक 28.06.2015 से दिनांक 09.02.2019 तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनमंखी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 09.02.2019 को श्री राममगत यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त पद रिक्त हो गया। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न आदेशों के द्वारा दिनांक 28.06.2019 को अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनकी उपलब्धता के आधार पर उनके संवर्ग के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया। पूर्णियाँ जिला में कुल 04 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पर्याप्त संख्या नहीं रहने के कारण बनमंखी प्रखंड के रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं किया जा सका है।

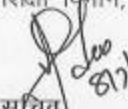

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-8/वि०स०1-20/2019 1201

पटना, दिनांक- 08/07/19 /

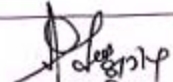
प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक-1884 दिनांक-03.07.2019 (दो प्रतियों में)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

597

श्री राजेश कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-109	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत बैरौव, मटपा, घेउड़ा पंचायतों में +2 विद्यालय भवन बनकर तैयार होने के बावजूद उक्त विद्यालय में अबतक पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त निर्मित भवनों में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकरात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत मटपा पंचायत स्थित विद्यालय का निर्माण कर संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को हस्तगत करा कर पठन-पाठन का कार्य संचालित किया जा रहा है। बैरौव एवं घेउड़ा पंचायतों में अवस्थित +2 विद्यालय भवन का निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा कराया जा रहा है, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर उसे संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापकों को हस्तगत करा दिया जायेगा।

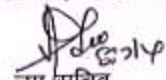

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-87/2019-1265

पटना, दिनांक 08.09.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1140 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NA-598

श्री राज कुमार राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - शिक्षा-101	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। हसनपुर प्रखण्ड समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में यु0आर0 कॉलेज, रोसड़ा संचालित है। जिन प्रखण्डों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है, वहाँ नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। अतः सम्प्रति हसनपुर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/-
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-22/2019-1478

पटना, दिनांक 08/7/2019

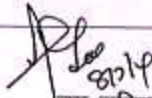
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापा संख्या 1132 दिनांक 29.06.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

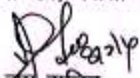
N10602

श्री चन्द्रसेन प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-122	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा प्रखंड स्थित जनता उच्च विद्यालय, अखियायारपुर चन्दौली के 8 कि०मी० की परिधि में कोई भी इंटरस्तरीय विद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालय को इंटरस्तरीय विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में इण्टर (+2) स्तर की पढ़ाई शुरू करने के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर ने पत्रांक 92 दिनांक-16.03.2019 द्वारा सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कोड आवंटित करने का अनुरोध किया है।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-103/2019-1224 पटना, दिनांक 08.07.2019
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1168 दिनांक-01.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सोवि0स0 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - शिक्षा-75	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि तरारी विधान सभा के पीरो अनुमण्डल में महिला महाविद्यालय स्वीकृत है, परंतु उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त महिला महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। भोजपुर जिले का पीरो अनुमण्डल भी इस कोटि के अनुमण्डल में शामिल है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर को पीरो अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सम्प्रति प्रतिवेदन अप्राप्त है। भूमि चयनित होने के उपरांत सरकार इस अनुमण्डल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कार्यवाई करेगी। परंतु पीरो में महिला महाविद्यालय की स्थापना अथवा भवन निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

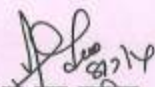
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-20/2019-1477

पटना, दिनांक 08/7/2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप
संख्या 960 दिनांक 26.06.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा
को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


सरकार के उप सचिव

210 608

श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या:- शिक्षा-14, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के सिसवन प्रखंड स्थित संस्कृत मध्य विद्यालय, महादेव स्थान, मेहदार में विगत पाँच वर्षों से प्रबंध समिति गठित नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय में पढ़ाई एवं विकास कार्य बाधित है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के मेहदार गाँव में प्रश्नगत नाम का कोई संस्कृत विद्यालय नहीं है। सिवान जिले के सिसवन प्रखंड में महेन्द्रनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मेहदार के नाम से प्रस्वीकृत विद्यालय है, जिसमें प्रबंध समिति की वक्तावधि वर्ष 2018 में समाप्त हुई है। आगामी एक माह के अन्दर उक्त विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन कर दिया जायेगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8.7.19

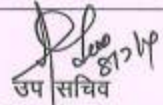
ज्ञापक:- 10/वि०स०-07/2019.... 720

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक-753, दिनांक 18.06.2019 के प्रसंग में/उप सचिव संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री जनार्दन मांझी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-161	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
1. क्या बात सही है कि बौंका जिलान्तर्गत विसनपुर पंचायत में एक उच्च विद्यालय, जो आनन्द मार्ग संस्थान द्वारा संचालित है, जिसमें सभी धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बौंका जिलान्तर्गत विसनपुर पंचायत स्थित आनंद मार्ग उच्च विद्यालय एक निजी विद्यालय है जो आनंद मार्ग संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में बौंका जिलान्तर्गत विसनपुर पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायत है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के इन्द्रसैना ग्राम में स्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु जमीन उपलब्ध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पंचायत के इन्द्रसैना ग्राम में स्थित मध्य विद्यालय में कुल 48 डिसमिल जमीन उपलब्ध है, जो सरकार द्वारा निर्धारित उत्क्रमण के मानक अनुरूप (75 डिसमिल) से कम है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक-05.07.2013 के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विहिन पंचायतों में अप्रैल 2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई प्रारंभ करने के तहत प्रश्नाधीन विद्यालय का प्रस्ताव विचाराधीन है।

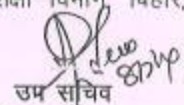

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-117/2019-1282

पटना, दिनांक 08.07.2019

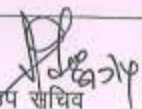
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1948 दिनांक-03.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री अमय कुमार सिन्हा, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-151

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत टिकारी के वार्ड नम्बर-11 में स्थित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण सोन शिविर में वर्षों से संचालित हो रहा है जिसके कारण कक्षा में बच्चों की उपस्थिति एवं कक्षा संचालन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हों तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित विद्यालय नगर पंचायत टिकारी के वार्ड नं०-11 के बक्सु बिगहा में संचालित था। विद्यालय को अपनी भूमि नहीं रहने के कारण वर्ष 1995 में तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक के फण्ड से विद्यालय भवन का निर्माण सोन शिविर क्षेत्र में कराते हुए विद्यालय का स्थानान्तरण सोन शिविर क्षेत्र में कर पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सोन शिविर बेलहड़िया पंचायत के वार्ड नं०-12 में अवस्थित है।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-57/2019. 737 /

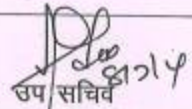
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

110 611

श्री कुमार सर्वजीत, माननीय संविंस० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-140	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
क्या बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के नौडीहा झुरांग पंचायत के नौडीहा ग्राम स्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण सरकार द्वारा वर्ष-2010 में स्वीकृत किया गया है, परन्तु उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षकों को पदस्थापित कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2286 दिनांक-24.12.12 के आलोक में विभागीय पत्रांक-825 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किए गए थे। उक्त सृजित पद के विरुद्ध नियोजन की कार्यवाई की गई और नियोजन के आगामी चरण में भी नियोजन की कार्यवाई इन पदों पर की जा सकती है।

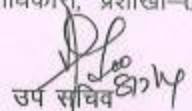

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/विंस० 5-108/2019-.....1266

पटना, दिनांक08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०विंस० (के ज्ञाप सं० प्र०-1883 दिनांक-03.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

510613

श्री जीवेश कुमार मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-94, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के रेवड़ा स्थित मदरसा नुरुल इस्लाम में मौलवी पद पर कार्यरत के दौरान मो. नसीम अख्तर की मौत दिनांक-18.09.2015 को हो गयी थी;	
क्या यह बात सही है कि मृतक नसीम अख्तर के आश्रित पुत्र मो. मिनतुल्लाह ने अनुकम्पा के आधार पर मदरसा में नियुक्ति के लिए 24.11.2017, 29.01.2018 तथा 21.03.2018 को अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को आवेदन किया, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अस्वीकारात्मक। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्रबंध समिति मदरसा नुरुल इस्लाम, रेवड़ा, दरभंगा के द्वारा श्री मो. मिनतुल्लाह को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनुमोदन हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को आवश्यक कागजात अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मौलवी नसीम अख्तर की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पुत्र मो. मिनतुल्लाह को अनुकम्पा के आधार पर मदरसा नुरुल इस्लाम में नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

ह0/-

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05/09/2019

ज्ञापक:- 10/वि०स०- 13/2019.....7.05

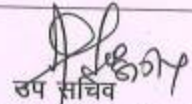
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक-1102 दिनांक 28.06.2019 के प्रसंग में/आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग/उप सचिव संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

110 615

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-129	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के चरपोखरी प्रखण्ड के मलौर पंचायत के ग्राम मलौर में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के दो कमरों का भवन निर्माण कार्य वर्ष-2016 में कराया गया है तथा शेष 8 कमरों का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन के शेष 8 कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मलौर पंचायत के ग्राम मलौर में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय मलौर में कुल 10 वर्गकक्ष अवस्थित हैं। इसमें छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन सुचारु रूप से कराया जाता है।

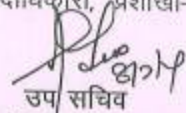

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-102/2019-1268

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1179 दिनांक-01.07.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा में श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारंकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-82	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर
(क) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना द्वारा दिनांक 23.11.2018 को निदेशक पद की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें उम्र सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है;	(क) संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार:- संस्थान के पूर्णकालीन निदेशक के चयन हेतु दिनांक 23.11.2018 एवं 15.01.2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें उम्र एवं सेवाशर्त के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि AICTE एवं संस्थान के नियमावली के अनुसार मान्य होगा।
(ख) क्या यह बात सही है कि संस्थान में नियुक्ति नियमावली, 2017 में प्रावधान है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पैनल से ही निदेशक की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन विज्ञापन की प्रक्रिया स्वयं संस्थान के द्वारा की गई;	(ख) ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली, 1990 (यथा संशोधित 2015) जो नियमावली, 2017 के अनुसार निदेशक के नियुक्ति हेतु मान्य है, के नियम 8 के अन्तर्गत संस्थान के पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति की शक्ति संस्थान के प्रबन्ध समिति में निहित है। संस्थान के प्रबन्ध समिति द्वारा नियमों के आलोक में त्रि-सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। अधिकृत चयन समिति द्वारा संस्थान के पूर्णकालीन निदेशक के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही की जा रही है।
(ग) क्या यह बात सही है कि संस्थान में निदेशक की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया;	(ग) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-14/एम7-36/10-52 दिनांक 19.01.2017 एवं संस्थान के संचिका संख्या-01-1233/17 के टिप्पणी पृष्ठ 4 पर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (संशोधन) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति की कार्यवाही हेतु संस्थान को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से अनुमोदन/आदेश प्राप्त है।
(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त संस्थान द्वारा विज्ञापित निदेशक पद की नियुक्ति को रद्द कर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(घ) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। लागू नियमों के आलोक में संस्थान में पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति संस्थान के प्रबन्ध समिति द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर संस्थान के प्रबन्ध समिति को ही करना है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का कोई औचित्य नहीं है।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक:- 14/ए11- 10/2019 -1175

पटना, दिनांक 08/07/2019

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या-994 दिनांक 27.06.19 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - शिक्षा-02	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, जिससे प्रखण्ड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में अंगीभूत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तुत प्रश्न के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड औरंगाबाद अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहाँ पूर्व से ही ए0एन0एस0 कॉलेज, नवीनगर, एस0 सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद, आर0एल0एस0वाई कॉलेज, औरंगाबाद एवं के0एस0एम0 कॉलेज, औरंगाबाद अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है। अतः सम्प्रति औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड में अंगीभूत महाविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/-

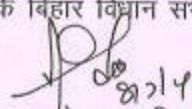
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहारबिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-12/2019-1476

पटना, दिनांक 08/7/2019

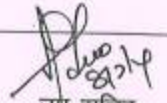
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 736 दिनांक 18.06.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


सरकार के उप सचिव

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-130

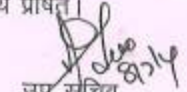
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1) क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के अगिर्यौव प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम भलुनी में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कराने हेतु 8 वर्ष पूर्व राशि उपलब्ध करायी गयी थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि भवन का निर्माण नहीं होने के फलस्वरूप उपलब्ध कराई गयी राशि को पुनः विभाग में वापस कर दिया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिर्यौव प्रखण्ड के ग्राम भलुनी स्थित प्राथमिक विद्यालय के 04 वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में एवं 03 वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में राशि निर्गत किया गया था। उक्त राशि से वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के 07 वर्ग कक्ष में पठन-पाठन कार्य संचालित है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कड़िका में सन्निहित है।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-50/2019.....734...../

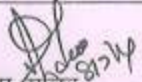
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

श्रीमती एज्या यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-146

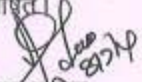
	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी प्रखण्ड के ताराधमौन पंचायत के "राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ताराधमौन" का भवन करीब 10 वर्षों से जर्जर है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी प्रखण्ड के ताराधमौन पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ताराधमौन में कुल 02 कमरे पक्के के हैं। छः कमरा खपरैल का बना है। जिसमें पठन-पाठन का कार्य चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राशि प्राप्त होने पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।


उप-सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापक 08/वि० 01-52/2019...721.../

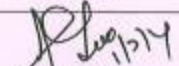
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप-सचिव
शिक्षा विभाग।

नं० 622

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-33	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड शिवसागर के पंचायत सिलारी में सरकारी उच्च विद्यालय नहीं है।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 कि०मी० दूर जाना पड़ता है।	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पंचायत से लगभग 05 कि०मी० के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलारी, करगहर अवस्थित है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार मध्य विद्यालय सिलारी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक-05.07.2013 द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। उक्त संकल्प में प्रावधानित है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति से चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने की अनुशंसा की जायेगी। राज्य सरकार के उक्त संकल्प को सम्यक् रूप से लागू करने हेतु माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के फलाफल के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग-9) का संचालन प्रत्येक पंचायत में अप्रैल, 2020 में प्रारंभ किया जायेगा। उक्त सर्वेक्षण में माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विद्यालय की भी समीक्षा की जायेगी।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.07.2019

ज्ञापक : 11/वि०स० 5-55/2019-1144

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-831 दिनांक-21.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:-
1	क्या यह बात सही है कि बिहार में उर्दू स्पेशल टी० ई० टी० परीक्षा 2013 के शिक्षक नियोजन की उत्तीर्णता का आधार अंक 60 प्रतिशत था, लेकिन उर्दू अभ्यर्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक आया जिससे बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों की नियोजन सीट खाली रह गई थी ;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव, पटना ने पत्रांक-07/विधि-14-64/2014-215, दिनांक-07.02.2019 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसमें उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक में से 5 प्रतिशत की छूट के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था;	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उर्दू शिक्षकों को निर्धारित प्राप्त से 5 प्रतिशत छूट देकर नियोजन करने का विचार रखती है, हों तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कड़िका 'ख' में वर्णित विभागीय पत्र के अतिरिक्त विभागीय पत्रांक-794 दिनांक-25.06.2019 द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से शिक्षक अर्हता योग्यता के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक में से 5 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होते ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांक-7/वि० मं०-19/2019 872-पटना/दिनांक-08/07/19 /

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को पत्रांक-1094 दिनांक-28.06.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

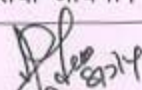
ज्ञापांक-7/वि० मं०-19/2019 872-पटना/दिनांक-08/07/19 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी-1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

NA-627

श्री विद्या सागर सिंह निषाद, माननीय संवि०सं० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-145	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय सोंगर में 890 विद्यार्थी एवं उच्च विद्यालय मोरवा रायटोली में 820 विद्यार्थी अध्ययनरत है, लेकिन भवन के अभाव में बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1271 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण उपरांत विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०सं० 5412/2019-1285

पटना, दिनांक 08.07.2019

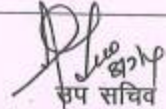
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०सं० (के ज्ञाप सं० प्र०-1888 दिनांक-03.07.2019 के
आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

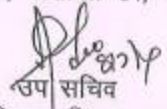
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

TAO-629

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय संवि०सं० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-70	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के चैरौत प्रखण्ड में स्थित उच्च विद्यालय का चहारदिवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय में असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आवागमन होता रहता है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हों तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1240 दिनांक-06.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक चाहरदिवारी के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा।


उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/वि०सं० 5-75/2019-1273 पटना, दिनांक 08.07.2019
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०सं० (के ज्ञाप सं० प्र०-955 दिनांक-26.06.2019 के आलोक
में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

210 630

श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-45

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा पंचायत के ललबा (रही) टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन 1987 की बाढ़ में ध्वस्त हो जाने के कारण विद्यालय पूरी तरह भवनहीन हो गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा पंचायत के ललबा (रही) टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन बाढ़ में ध्वस्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में इस विद्यालय के 02 अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) निर्गत किया गया था परन्तु उपलब्ध भूमि का कटाव के कारण राशि वापस कर दिया गया। कटाव से सुरक्षित दूरी पर भूमि प्राप्त करने के लिए जन सम्पर्क किया जा रहा है। साथ ही इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु सुरक्षित भूमि उपलब्ध कराने के लिए अंचलाधिकारी, मधेपुर एवं संबंधित मुखिया से अनुरोध किया गया है।

ज्ञापक 06/वि० 01-39/2019 727 /

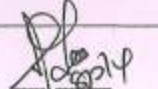
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 08/07/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

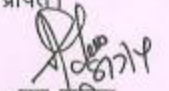
	<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
(1)	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतरघट में वर्ष-2018-2019 तक महादलित परिवार के एक भी बच्चा को पोशाक राशि एवं छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतरघट के महादलित वर्ग के छात्रों को पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि वितरण करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतरघट को वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभुक आधारित योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत वांछित अहर्ता वाले 723 छात्र/छात्राओं को पोशाक मद में 533700/- (पाँच लाख तैंतीस हजार सात सौ) एवं छात्रवृत्ति मद में 864000/- (आठ लाख चौंसठ हजार) रु० उनके बैंक खाता में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित किया गया है। इसमें वांछित अहर्ता रखने वाले पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना में महादलित वर्ग के बच्चे भी शामिल हैं।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-43/2019.....726...../

पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

डॉ० रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - शिक्षा-125	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि स्नातक स्तर की तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को बिहार एवं बिहार से बाहर शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्त निगम द्वारा "स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना" के माध्यम से अधिकतम 4 लाख ऋण की व्यवस्था की गई है, जबकि स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की गई है, यदि हाँ तो सरकार स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हेतु ऋण मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की विकसित बिहार के 7 निश्चित के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत छात्रों के लिए 4 प्रतिशत जबकि छात्राओं, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए केवल 1 प्रतिशत सरल व्याज दर से 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के माध्यम से स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम यथा एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम, एम०बी०ए०, एम०सी०ए० इत्यादि के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

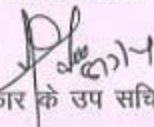
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापक 15/ए 4-21/2019-1475

पटना, दिनांक 08/7/2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप
संख्या 1171 दिनांक 01.07.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा -1 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा
को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


सरकार के उप सचिव

NT-633

	श्री यदुवंश कुमार यादव, माननीय संविंस० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-99	माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
(क)	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित एक मात्र उच्च विद्यालय निर्मली के खेल मैदान की जमीन का अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय स्थित खेल मैदान की अतिक्रमण भूखण्ड को अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक-520(30) दिनांक-05.07.2019 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि प्रधानाध्यापिका, उच्च विद्यालय, निर्मली, सुपौल के पत्रांक-82 दिनांक-05.07.2019 के द्वारा सूचित किया है कि अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटी, पटना के प्रमाण पत्र संख्या-61 दिनांक-03.08.1994 से महानहिम राज्यपाल, बिहार पटना वास्ते राजकीयकृत उच्च विद्यालय, निर्मली के नाम से खेसरा संख्या-1600, 1604 एवं 1643, रकबा 0-9-5-0 (नौ कट्ठा पाँच धूर) का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, लेकिन जीवछ साह उर्फ जीवनेश्वर साह, पिता-लक्ष्मी साह एवं हरिनारायण गामी, पिता- मुंगलाल गामी के नाम से एक जाली प्रमाण-पत्र उपरोक्त खेसरा सहित अंधल कार्यालय, निर्मली से जमाबंदी संख्या-2985 वर्ष 1990-91 में कायम कर लिया गया है। विद्यालय प्रधान को जानकारी होने पर जमाबंदी नं० 2985 को रद्द करने हेतु राज्य वाद संख्या-5092 उपसमाहर्ता भूमि सुधार निर्मली के न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें विद्यालय के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। साथ ही अध्यक्ष बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, पटना के पत्रांक-667 दिनांक-14.07.1994 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली को जालसाजी से जारी किया गया प्रमाण-पत्र के आधार पर कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध भी किया गया है। पुनः श्री जीवनेश्वर साह के द्वारा सब जज-03 सुपौल के न्यायालय में अपील दायर किया गया है, जिसमें दिनांक-11.03.2016 को विद्यालय के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है, निर्णय से असंतुष्ट होकर श्री साह के द्वारा 22.03.2016 को अपर जिला न्यायाधीश (ADJ-1) सुपौल के न्यायालय में पुनः अपील दायर की गयी है, जिसमें दिनांक-29.03.2017 को बिना नोटिस के एकपक्षीय निर्णय वादी के पक्ष में कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध विद्यालय प्रधान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील संख्या-SA-84/2019 दायर की गयी है जो न्यायालय में विचारधीन है। वर्तमान में स्थिति यह है कि विद्यालय के खेल मैदान के पूर्व के शौचालय को तोड़कर लगभग 05-06 कट्ठा भूमि श्री साह के द्वारा अतिक्रमण कर खेसरा संख्या-1604 पर निजी मकान लगभग 01 (एक) कट्ठा में बना लिया है, जबकि विद्यालय को केवाला से प्राप्त खेसरा-1598 को पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। विद्यालय के अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु प्रधानाध्यापिका उच्च विद्यालय निर्मली, सुपौल ने अपने पत्रांक-04 दिनांक-10.01.2019 एवं ज्ञापांक-52 दिनांक-11.04.2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली/थाना प्रभारी, निर्मली/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल को अतिक्रमण की जानकारी देते हुए अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वि०मं०को०/प्र०-08/19.1370

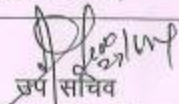
पटना, दिनांक-08/07/2019

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के पत्रांक-1130 दिनांक-29.06.2019 के आलोक में उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

710-634

श्री राजु तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-35	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010 में निर्णय लिया गया है कि प्रखण्ड के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय का निर्माण किया जायेगा।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक-05.07.2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किए जाने का नीतिगत निर्णय संसूचित है।
2. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के पश्चिमी संग्रामपुर एवं दक्षिणी बरियरिया पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है।	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों उच्च विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के उक्त संकल्प को सम्यक् रूप से लागू करने हेतु माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के फलाफल के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग-9) का संचालन प्रत्येक पंचायत में अप्रैल, 2020 में प्रारंभ किया जायेगा।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27.06.2019

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5-56/2019-1093

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-833 दिनांक-21.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

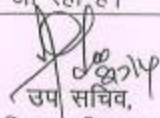

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री समीर कुमार महासेठ माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-123 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :-

श्री समीर कुमार महासेठ माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-123.	माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 889 शैक्षणिक संस्थानों में इन्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन हेतु वर्ष 2019 में 81300 सीटें बढ़ाई गई है ;	स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से इन्टरमीडिएट विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इन्टरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन हेतु सीटों की वृद्धि छात्रहित में की गयी ताकि छात्र-छात्राओं को इच्छित (+2) विद्यालयों में नामांकन का अवसर सुलभ हो सके।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शिक्षक नियुक्त किये बिना इन्टरमीडिएट विद्यालय में सीटें बढ़ाये जाने का क्या औचित्य है ?	साथ ही "समान काम के बदले समान वेतन" संबंधित वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन रहने के कारण लगभग डेढ़ वर्ष तक शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम स्थगित रहा। विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 2286 दिनांक 24.12.12 के आलोक में विभागीय पत्रांक 825 दिनांक-29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किए गए हैं। उक्त सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई की गई है और नियोजन के छटे चरण में भी नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।


उप सचिव,

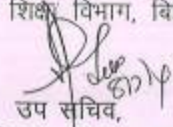
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक 8/7/19

ज्ञापांक : 09/वि०वि०स०-06/2019 382

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र०-1169 वि०स० दिनांक 01.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

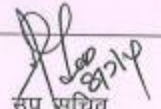
2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती सावित्री देवी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-117

	<u>प्रश्न</u> क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	<u>उत्तर</u> श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(1)	क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के डढ़वा पंचायत के ग्राम लोधमा एवं ठाढ़ी पंचायत के ग्राम-नौकाडीह में विद्यालय नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में विद्यालय की स्थापना करने विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के डढ़वा पंचायत के ग्राम लोधमा में लगभग 60-70 घर हैं। इस ग्राम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेंगनिया एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय तारडीह है। ग्राम-लोधमा के अधिकांशतः बच्चे उत्क्रमित मध्य विद्यालय तारडीह में नामांकित हैं। प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु इकाई प्राप्त होते ही विद्यालय खोलने की नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के ठाढ़ी पंचायत के ग्राम-नौकाडीह में लगभग 250 की आबादी है। ग्राम नौकाडीह से 1 किलोमीटर के अन्दर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतपोखरा अवस्थित है। ग्राम-नौकाडीह के बच्चे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतपोखरा में नामांकित हैं।


उप सचिव

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-48/2019-730/

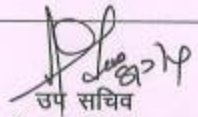
पटना, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
शिक्षा विभाग।

N10 637

श्री राम विलास पासवान, माननीय संविंस० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-91	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :-	
क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती प्रखण्ड के राजगौंव एवं रामनगर अठनियों ग्राम में स्थित उच्च विद्यालय में छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्कर्मित उच्च मध्यमिक विद्यालय, महुआडीह, राजगौंव के नवम् वर्ग में 140 बच्चे, एवं दशम् वर्ग में 181 बच्चें नामांकित है। विद्यालय में 02 माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है एवं मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के सहयोग से पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है। श्री दुर्गाचरण +2 उच्च विद्यालय, रामनगर अठनियों के नवम् वर्ग में 122 बच्चे, दशम् वर्ग में 150 बच्चें, ग्यारवीं में 105 एवं 12वीं में 03 बच्चे नामांकित है। विद्यालय में 04 माध्यमिक शिक्षक एवं दो उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है। छोटे चरण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन हो सकेगा।

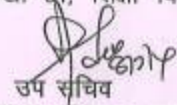

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 11/विंस० 5-82/2019-1269

पटना, दिनांक 08.07.2019

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, वि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1099 दिनांक-28.06.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।